बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

II संकल्प II

विषयः—बिहार राज्य में ''दीनदयाल जन आजीविका योजना (शहरी)'' के कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका तथा समय—समय पर प्राप्त होने वाले दिशानिर्देश के आलोक में प्राप्त होने वाली केन्द्रांश की राशि एवं बजटीय उपबंध के अन्तर्गत अनुपातिक राज्यांश की राशि के व्यय की स्वीकृति।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **''दीनदयाल जन आजीविका योजना (शहरी)''** का शुभारंभ दिनांक—01.10.2024 से किया गया है। योजना के प्रथम चरण में पायलट प्रोजेक्ट क्रियान्वित किया जा रहा है जिसमें राज्य अंतर्गत पटना शहर का चयन किया गया है।

2. **योजना का उद्देश्यः—** शहरी गरीबों का सार्वभौमिक विकास करना, क्षमता निर्माण कर आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना, वित्तीय समावेशन और उद्यम का विकास कराना, सामाजिक आधारभूत संरचना का विकास करना, केंद्रीय निधियों के आवंटन का उपयोग कर नवीन एवं विशेष परियोजनाओं का सृजन, अन्य क्रियान्वित केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं से अभिसरण कर लाभान्वित करना है। इस योजना के तहत शहरी गरीब महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों, प्रवासियों और कमजोर वर्ग के समुदायों विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों का समावेशी विकास करना है। योजना के कार्यान्वयन हेतु आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मार्गदर्शिका निर्गत है।

3. **योजना के लिए आवश्यक निधि के स्रोत** (यथा राज्यांश, केन्द्रांश, शत प्रतिशत केंद्र प्रायोजित योजना, राज्य योजना, बाह्य संपोषित, इत्यादि):— ''दीनदयाल जन आजीविका योजना (शहरी)'' पटना नगर निगम क्षेत्र हेतु पायलट योजना है जो शत प्रतिशत केंद्रीय योजना है। पायलट योजना के उपरांत पूर्ण रूप से योजना के क्रियान्वित होने पर यह योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना होगी। इस हेतु केन्द्रांश के रूप में 60 प्रतिशत राशि एवं राज्यांश के रूप में 40 प्रतिशत राशि होगी।

4. **प्रशासन और कार्यान्वयन ढ़ांचा—** योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में हाई पावर्ड कमिटी, जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति, नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी की अध्यक्षता में नगर स्तरीय कार्यपालिका समिति का गठन किया जायेगा। साथ ही नए योजना में प्रावधान है कि दीनदयाल अन्त्योदय योजना—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत कार्यरत सभी कर्मी को इस योजना में कर्मी के रूप में सेवा लिया जा सकता है। साथ ही स्वयं सहायता समूहों का गठन एवं क्षमतावर्द्धन का कार्य जीविका के माध्यम से कराया जा सकता है।

5. **अतः बिहार राज्य में ''दीनदयाल जन आजीविका योजना (शहरी)'' के कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका तथा समय—समय पर प्राप्त होने वाले दिशानिर्देश के आलोक में प्राप्त होने वाली केन्द्रांश की राशि एवं बजटीय उपबंध के अन्तर्गत अनुपातिक राज्यांश की राशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान प्रदान करने पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।**

6. उक्त प्रस्ताव पर दिनांक–19.03.2025 को सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के मद संख्या– 29 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

ह0/–
(अभय कुमार सिंह),
सरकार के सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–04/DJAY-10-03/2025 3645 /न0वि0एवंआ0वि0, दिनांक–25/3/25

प्रतिलिपिः–अधीक्षक राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना/अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना (सी0डी0 संलग्न) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए संकल्प की दो सौ प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

25/3/25
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–04/DJAY-10-03/2025 3645 /न0वि0एवंआ0वि0, दिनांक–25/3/25

प्रतिलिपिः– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार पटना/सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/अवर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (DAY-NULM), भारत सरकार/सचिव के आप्त सचिव/अपर सचिव–सह–निदेशक, बुडा/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, सभी कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमण्डल, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 एवं 06, नगर विकास एवं आवास विभाग/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद/सभी नगर पंचायत/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी को ई–मेल करने/टीम लीडर, DAY-NULM को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/3/25
सरकार के सचिव।